

FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014

673

Dated: 25/04/2016

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2-29-73 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Assistant Engineer, HP PWD Sub-Division Jutogh Shimla-11 for Construction of Padech to Dafaug road (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla in Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2-29-73 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 14 annexure _____.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

(Rohan Chand Thakur)

District Collector Signature
Shimla District (H.P.)
(Full name and official designation of District Collector)



FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector

No. SML-SR (57)/2014

673

Dated: 25/04/2016

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2-29-73 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Assistant Engineer, HP PWD Sub-Division Jutogh Shimla-11 for Construction of Padech to Dafaug road (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla in Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2-29-73 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 14 annexure _____.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

(Rohan Chand Thakur)

District Collector Signature
Shimla District (H.P.)
(Full name and official designation of District Collector)



PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 19-03-2016 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.










The following members of the District Level Forest Right Committee were present.


- | | |
|--|-------------|
| 1. Shri G.C.Negi, Addl. District Magistrate, Shimla | Member Secy |
| 2. Sh. H.K.Gupta. Divisional Forest Officer, Kotgarh | Member |
| 3.. Sh. Raman Sharma, DFO Shimla | Member |
| 4. Sh. Amit Sharma, DFO Rampur | Member |
| 5. Sh. K.R.Kaundal, DFO Theog | Member |
| 6. Sh. Chaman Lal, DFO, Rohru | Member |
| 7. Smt. Neelam Saraik, Member Zila Parishad | Member |
| 8. Smt. Kanti Member Zila Parishad | Member |
| 9. Shri Arvind Kumar, Member, Zila Parishad | Member |

At the very outset the Addl. District Magistrate (p) welcomed all the members of the committee and a total 132 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

Out of total 132 cases 12 cases were split up to be processed Under Section 3.2 of Forest Rights Act, 2006 and it was decided to send back the papers to the user agency to process under FRA. Remaning 119 cases was placed before the committee and approved to be processed under FCA. Only one case i.e. construction of building for Fire Training Centre at Baldeyon was decided to be keep pending for want of formalities.

The meeting ended with vote of thanks.

 (H.K. Gupta)  (Raman Sharma)  (Amit Sharma)  (K.R. Kaundal)  (Chaman Lal)
 (Smt. Neelam Saraik)  (Smt. ~~Kanti~~)  (Shri Arvind Kumar)  (Shri G.C. Negi)


Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

(OFFICE OF THE SDO CIVIL), Shimla (R)
DISTRICT Shimla (H.P.)

Proceeding of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right(Act (FRA)2006.

A Meeting of the District level Committee of Shimla (R) Sub Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr/ Ms. Gian Sagar Negi, SDO (Civil)-Shimla on 11-2-2016 at 11-00 AM/PM at Shimla R (Place) in which the application(s) of the applicant(s) of a charah Gram Sabha, claiming rights Chash forest area (s) under FRA, 2006 duly processed and recommended by the Chorah Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:-

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1	AE HPPWD	Parech-Dabawage	Road 0-47-89 du
2	Sub-Division	to	2-29-73 hect

Tutagh Shimla
No claim

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected: पिंछ सुमावा/दिस्टि
स पिंछ सुमावा
सार्फ

S.No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1		MIL	
2			

OR

As informed by ----- Gram Sabha on application was received claiming rights in ----- forest area.

Place: Shimla

Date: 11-2-2016

SDO (Civil)-cum-Chairman/ Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

६३१६

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा.....६३१६

प्रतिलिपी प्रस्ताव

correct

प्रस्ताव संख्या.....I.....

दिनांक 14-9-15

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा.....६३१६.....की बैठक आज दिनांक 14-09-15

को 2-00 बजे स्थान.....६३१६.....में श्री/ श्रीमति.....श्रीपाल

.....की अध्यक्षता में की गई जिसमें.....६३१६.....गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत.....६३१६.....

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें लो. नि. विभाग विमान द्वारा पेय-ड्रिपिंग* वनपाड़-कैपेय* के

के निर्माण के लिए 0-47-89 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए

दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों

के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा

द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०

*पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

1

समस्त गांव वासी

६३१६

2

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०

*पात्र गांव वासी का नाम

1

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

.....जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....

दिनांक

✓ अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा.....६३१६

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

सचिव

ग्राम-पंचायत-भलोद

प्रधान
ग्राम-पंचायत-भलोद

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा वन अधिकार समिति (ओ. द.डा.ह.)
 विकास खण्ड बेदावना जिला जिला (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 14.08.15

गणपूर्ति 19 / 25

प्रस्ताव संख्या 7

विषय: लोक निर्माण - विभाग / संस्था को समूहिक पीच-डामावा निवस याद-कई-य
के निर्माण हेतु द.डा.ह. जंगल / वन क्षेत्र
 में प्रस्तावित हैक्टयर वन भूमि के उपयोग
 की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा वन अधिकार समिति (ओ. द.डा.ह.) की बैठक आज दिनांक
14-08-15 को द.डा.ह. - बजे स्थान ओ. द.डा.ह. में की गई, जिसमें लोक निर्माण
 विभाग / संस्था को समूहिक पीच-डामावा निवस याद-कई-य के निर्माण हेतु द.डा.ह.
 जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-47-89 है. हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के
 लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित खण्ड 0-47-89 हैक्टयर वन भूमि को स.द.क. के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा द.डा.ह. की सहमति दी जाती है।

द.डा.ह.
 स्थान 14-8-15
 दिनांक

गोपाल
 प्रधान - सचिव
 वनाधिकार समिति
 ग्राम-द.डा.ह. (भलीह)

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम सभा द.डा.ह.

गोपाल
पंचायत भलीह

सम्पत्ति सड़क के निर्माण बारे

प्रस्ताव सं (1) - पड़ेच डफावग से कडेच वाया दड़ाह सम्पत्ति सड़क के निर्माण हेतु वनाधिकार समिति दड़ाह द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे।
ओरेंज दिनांक 14-09-15 को वनाधिकार समिति ग्राम दड़ाह की बैठक अध्यक्ष गोपाल की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि लो. नि. विभाग द्वारा ज. स. सड़क पड़ेच डफावग से कप्या डड़ाह लंद्रेय का निर्माण किया जाना है और जिस में संनंर दड़ाह वन क्षेत्र में 0-47-89 ई. 00 मूमि उपयोग की गई है बारे वनाधिकार समिति दड़ाह की कार्य अनापति नये है। उपरीक्त मूमि के उल्लाव की यदि आतिरिक्त मूमि की सड़क निर्माण हेतु ज. स. सड़क है तो भी वनाधिकार समिति दड़ाह को कार्य अनापति नये है। उपरीक्त रक्बा मीता दड़ाह में आती है।
बैठक में गणपूर्ति 19/26 रही। उपरीक्त सड़क का निर्माण ज. स. सड़क में है। जो आति आवश्यक है। समस्त ग्राम वस्ति / सभा का कोई खराब खबर न है।

गोपाल
प्रधान - समिति
वनाधिकार समिति
ग्राम - दड़ाह (पंचायत)
तह - दड़ाह
ग्राम-पंचायत - भोलाह

डम्रावग

Annexture-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति प्रतिनिधि प्रस्ताव

दिनांक 10-05-15

प्रस्ताव संख्या 22

ग्राम सभा डम्रावग की बैठक आज दिनांक 10-05-2015 को सुबह
बसे स्थान डम्रावग में श्री/ धैरव्य सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में की गई जिसमें डम्रावग गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत डम्रावग (पिंडी) जंगल वन क्षेत्र में जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा पिंडी-डम्रावग सिंधुपाड़ा-कैडेंच सिंधु के निर्माण के लिए 07-42 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावेदार ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश को उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर विचार किया गया। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ पर्युत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विचारित उचित उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का प्रकार
पिंडी (डम्रावग)

तदनुसार वह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों का पालन करे हुए इस खण्ड स्तर का निर्माण करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों का निरसन करती है।

इन ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार पिंडी (डम्रावग) जंगल वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान
दिनांक

Rashmiel

पिंडी (डम्रावग) जंगल वन क्षेत्र
अधिकृत धैरव्य सिंह ठाकुर
ग्राम सभा डम्रावग
सचिव

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों का नाम जिसमें इस वन क्षेत्र में वन अधिकार का दावा किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का वह जिसके लिए इन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन अधिकारों की अनुमति दी जाती है। पिंडी-डम्रावग सिंधुपाड़ा-कैडेंच सिंधु के निर्माण के लिए।

समाप्त Correct

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा पड़ोच (इमावग) और पेचापत - 4011622
विकास खण्ड अशोकपुर जिला हिमाचल (हि090)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 10.05.2015

गणपूर्ति 53 / 78

प्रस्ताव संख्या 2

विषय: लोक निर्माण विभाग/संस्था को पड़ोच-इमावग से वनपाड़-कड़ी-य
सड़क के निर्माण हेतु पड़ोच - (इमावग) जंगल/ वन
में प्रस्तावित 00-77-42 हेक्टेयर वन भूमि के उप
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा इमावग (शोक पेचापत-4011622) की बैठक आज दिनांक
10.5.2015 को सुबह 11-00 बजे स्थान गोम - इमावग की गई जिसमें
लोक निर्माण - विभाग/संस्था को पड़ोच-इमावग से कड़ी-य सड़क के निर्माण हेतु पड़ोच (इमावग)
जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-77-42 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को
तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन
दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों
मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा
सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के नि
सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित 00-77-42
भूमि को लोक निर्माण निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा इमावग
सहमति दी जाती है। सड़क

Rasool

सड़क निर्माण बारे

(4)

प्रस्ताव संख्या ६२ = पट्टेच-उमावग से बथपाड-जडेच सम्पर्क
सड़क के निर्माण हेतु वन अधिकार समिति
उमावग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे।

आज दिनांक 10.05-15 को वन अधिकार समिति
राजसू गांव उमावग परगा (पट्टेच) की बैठक -
वन अधिकार समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश्वर सिंह
ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रस्ताव
पेशा गया कि पट्टेच-उमावग से बथपाड-जडेच
सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु मांग उमावग परगा
के पट्टेच में अरावी खतार नम्बर 190, 225, 227
119/1, 119/2, 119/3 का 20, व 36। कुल रकबा 0-77-42 ई.
सरकारी जमीन उपयोग देखें जिससे वन अधिकार
के तहत जमीन निर्माण विभाग द्वारा 10 को रूपांतरित
करने बारे चर्चा की गई। वन अधिकार के अनापत्ति 53/78
जारी मिलने को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का भी
चर्चा हुई। जिस में सर्वसम्मति से निर्णय लिया
गया कि उपरोक्त अरावी में से यदि जमीन
निर्माण विभाग उक्त सड़क का निर्माण जमीन
जमीन में हो करने जा रहे हैं तो वन अधिकार
समिति उमावग परगा-पट्टेच का इस को लिए
कोई एतराज नहीं है।

अतः प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रमाणित
पे-चापत-धारा 62 को आवश्यक प्रमाणित
अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना विलम्ब जारी करने हेतु
अग्रिम है ताकि उक्त सड़क का निर्माण जल्द
से जल्द हो सके।

श्री दिनेश्वर ठाकुर
अध्यक्ष

वन अधिकार समिति
वन अधिकार विभाग
देवदह
प्रधान
सचिव

वनाधिकार समिति - पड़ैच

सड़क निर्माण वारे अनापति प्रमाण पत्र वारे

पुस्ताव नं. १२ - पड़ैच - इलाका से बचपाइ-काइ-कड़ैच सम्पके सड़क के निर्माण हेतु वनाधिकार समिति पड़ैच द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी करने वारे।

आज राज इन्द्रबाद दिनांक 14-09-2015 को वनाधिकार समिति गांव - पड़ैच की बैठक में वनाधिकार समिति पड़ैच के अध्यक्ष (प्रधान) श्री राजनलाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पुस्ताव संख्या गया कि पड़ैच - इलाका से बचपाइ - काइ - कड़ैच सम्पके सड़क के निर्माण हेतु गांव पड़ैच में राजाजी खुलू नं. 130 रस्ता नं. 16-778 स्थापना की गयी उपयोग हेतु हो जा जनहित में है जिससे वनाधिकार समिति के तहत लोक निर्माण विभाग दि. 20 को हथानगर में वारे चर्चा की गई व वन विभाग को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने वारे चर्चा की गई। चर्चा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त राजाजी से जो लड़क निर्माण हेतु हो जनहित में है वारे वनाधिकार समिति पड़ैच का मोर एतबार नही है अतः अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

Signature
प्रधान
वनाधिकार समिति
ग्राम-पड़ैच (बंगाल)

Signature
सा. वनाधिकार

गंगा

अम

पेड़च

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा पेड़च
प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 14-9-15

प्रस्ताव संख्या 2

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा

को इ.प.करवा (वस्ते स्थान ग्राम)

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत

जंगल वन क्षेत्र में (जिसमें पेड़च विभाग द्वारा पेड़च से कड़ैच संपर्क सड़क

के निर्माण के लिए 0-16-17 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की नजारी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए

दावे हूँ प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों

के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा

द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०

*पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

1

2

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र०सं०

*पात्र गांव वासी का नाम

1

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

पेड़च जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....

दिनांक

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावों के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है। पेड़च-डमावा से कड़ैच संपर्क मार्ग

(अड़क) का निगम

Raishu

प्रधान
वन अधिकार समिति
ग्राम अनन (पेड़च)

14-9-15

ग्राम सभा पडेच जिला पिबित (हि0प्र0)
विकास खण्ड पडेच

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 14-9-15

प्रस्ताव संख्या 2

गणपूर्ति 87 175

विषय: पडेच लोक निर्माण विभाग/संस्था को पडेच डामाग से पडेच सम्पत्ति
के निर्माण हेतु पडेच जंगल/ वन क्षेत्र
में प्रस्तावित 0-16-77 हैक्टर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा पडेच वनाधिकार समिति की बैठक आज दिनांक 14-9-15 को 2:30 बजे, स्थान पडेच की गई जिसमें पडेच लोक निर्माण विभाग/संस्था को पडेच डामाग से पडेच सम्पत्ति के निर्माण हेतु
पडेच जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-16-77 हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कां ली है तथा प्रस्तावित 0-16-77 हैक्टर वन भूमि को सड़क के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा पडेच की सहमति दी जाती है।

स्थान पडेच
दिनांक 14-9-15

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

Rashmi
प्रधान
वनाधिकार समिति
ग्राम-पडेच (चणहडी)

T. Mahapatra
सचिव
पडेच
08/14-9-15

कईच

Annexture-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कईच
प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या I

दिनांक 12-08-15

ग्राम सभा 2-00 कईच की बैठक आज दिनांक 12-08-15 को कईच
बजे स्थान कईच में श्री / श्रीमति कईच की अध्यक्षता में की
गई जिसमें कईच गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कईच
क्षेत्र में (जिसमें लो. नि. प्र. विभाग द्वारा कईच से कईच के मि. प्र. के
लिए 00-87-65 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हुए वन
सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदनों पर रजिस्ट्रार
गई वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा तदनुसार वन अधिकारों के
उपरांत इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र.सं० *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का प्रकार

2

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों का पारित करत हुए इन दावों को समिति के
अधीन करती है।

उपरोक्त न से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

क्र.सं० *पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों का निरस्त करती है।

वा

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल / वन क्षेत्र
में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान
दिनांक

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों का नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र जंगल में वन अधिकार के दावे
आवेदन किया है।

प्रस्तावित संपर्क हटकर कईच इलाका से वन अधिकारों के दावे
** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत
कोई अनुमति दी जानी है।

अधीकृत गोलोहर

Annexture-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा कडेच
विकास खण्ड मन्नी बरा जिला जिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 12.08.15

गणपूर्ति 18 / 22

प्रस्ताव संख्या 7

विषय: हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग / संस्था को पैच उलावण निवपयाड कडेच
स्वयं सहाय के निर्माण हेतु कडेच जंगल / वन
में प्रस्तावित 00-87-65 हेक्टेयर वन भूमि के उप
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा कडेच की बैठक आज दिनांक 12-08-15 को दिन 2-00 बजे, स्थान कडेच की गई जिसमें
हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग / संस्था को पैच उलावण निवपयाड कडेच के निर्माण हेतु कडेच
जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-87-65 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी
लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।


सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों की सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित 00-87-65 वन भूमि को पैच उलावण निवपयाड कडेच के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा सहमति दी जाती है।

सम्पर्क सड़क के निर्माण बारे

प्रस्ताव सं० (1) — पड़ैच, डफावा से कड़ैच बाया बथवाल
द्वारा सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु
वनाधिकार समिति कड़ैच द्वारा अनापति
प्रमाण पत्र जारी करने बारे।

आज शैल दिनांक 12-08-15 को वनाधिकार
समिति ग्राम कड़ैच की बैठक अध्यक्ष ओसाराम
की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित
किया गया कि लो. नि. विभाग हि. प्र. दांश
जो सम्पर्क सड़क पड़ैच डफावा से बथवाल व
द्वारा कड़ैच का निर्माण किया जाना है और जिस
में एक नम्बर दांश वन क्षेत्र में ००-87-65 है, भूमि
उपयोग होनी है और वनाधिकार समिति कड़ैच
की कोई आपत्ति नहीं है। उपर्युक्त भूमि के मूलावा
भी यदि अतिरिक्त भूमि की सड़क निर्माण हेतु
आवश्यक पड़ती है तो भी वनाधिकार समिति कड़ैच
की कोई आपत्ति नहीं है। उपर्युक्त सड़क मंजूर
कड़ैच में आता है। बैठक में गणपूर्ति 18/22
रही। उपर्युक्त सड़क का निर्माण जनहित में
है। जो अति आवश्यक है। समस्त ग्राम वासी/
सभा का कोई शरत इस बारे में न है।

 दसोदा देवी
प्रधान - सचिव

वनाधिकार समिति
ग्राम ~~डफावा~~ (जमावड़ी) गं.प.
कड़ैच (भलोट)